Dr. Archana Bharti
Guest Faculty, MMHAPU
MJMC/SEM 1/Paper 101
Date- 04/06/2021

समग्र संचार व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए दो और सिद्धांतों की चर्चा की गई जो इस प्रकार है–

विकासशील देशों का माध्यम सिद्धांत (Developing Media Theory)

विकास में संचार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस पर वर्ष 1964 में विकासशील देशों में बहस शुरू हुई। अंत में वर्ष 1978 में मैकब्राइट कमीशन की रिपोर्ट 'Many Voices One World' में यह माना गया कि समाचार माध्यमों में समाचार नकारात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि दायित्वपूर्ण एवं सकारात्मक समाचार होना चाहिए। विकास सम्बंधित समाचारों की अधिकता और विकास के लिए सुझाव दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है कि संचार माध्यम समाज के लोगों को हतोत्साहित ना करके उनमें उत्साह लाने का संचार करें। सरकार की योजनाओं को लाभदायी बनाने एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग करें। आमतौर पर जन माध्यमों के विकास को प्राथमिकता देने के साथ–साथ लोगों के विकास को भी महत्व देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के स्थान पर अधोसंरचना को बढ़ाना चाहिए। मीडिया पर एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। विकासशील राष्ट्रों के लिए माध्यम सिद्धांत निम्न उद्देश्यों पर अधिक बल देता है–

1. राष्ट्र के विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर प्रकार के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए।
2. सांस्कृतिक और सूचनात्मक स्वायत्तता को आगे बढ़ाना।
3. लोकतंत्र को मजबूत करना।
4. अन्य विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ सम्बंध बनाना।

इसमें प्रेस के अधिकारों और स्वतंत्रता की अपेक्षा उत्तरदायित्वों पर अधिक जोर दिया जाता है। इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार जनमाध्यमों का प्रयोग राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय एकता की प्रवृत्ति को बढ़ाने में होना चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य राष्ट्र को धीरे–धीरे आधुनिकीकरण की ओर बढ़ाना है। वर्तमान समय में तृतीय विश्व के देशों में पश्चिमी देशों के अनुकरण की प्रवृत्ति प्रभावी मात्रा में पायी जाती है। इसी के साथ–साथ जनमाध्यमों पर पश्चिमी आधिपत्य के कारण सांस्कृतिक उपनिवेशवाद एवं अपसंस्कृति भी बढ़ रही है। इसके संतुलन के लिए नयी विश्व सूचना व्यवस्था अथवा नयी विश्व संचार व्यवस्था की मांग बढ़ रही है।

प्रजातांत्रिक सहभागी सिद्धांत (Democratic Participant Theory)

कुछ पश्चिमी समाज विशेषकर यूरोपीय देशों में सामाजिक दायित्व के सिद्धांत का संशोधन करके प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सहभागी सिद्धांत का विकास किया। इस सिद्धांत के अनुसार सूचना और माध्यम दोनों को महत्वपूर्ण माना गया हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी में किया गया। फ्रैंकफूर्ट के क्रिटिकल स्कूल द्वारा सामाजिक विश्लेषण करने पर स्पष्ट किया गया कि सूचना पर एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर सूचना पर एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है तो आम व्यक्ति को सूचना का पूरा और निष्पक्ष लाभ नहीं मिल सकता। व्यक्ति का एकाधिकार होने पर संचार माध्यम लाभपरक और मनोरंजनपरक हो जाते हैं। इस सिद्धांत में जनमाध्यमों को स्वतंत्रता के साथ–साथ जनमाध्यमों के एकाधिपत्य के स्थान पर नये प्रकार की जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व को प्रस्तावित किया। इसमें पूंजीवादी मीडिया का विरोध किया गया है क्योंकि पूंजीवादियों का नियंत्रण संचार माध्यमों पर हो जाता है। इसमें स्थानीय एवं क्षेत्रीय मीडिया को अधिक महत्व देने की बात कही गयी है क्योंकि यह आम व्यक्ति की आवश्यकता, प्रवृत्ति एवं समझ के बारे में अधिक जानते हैं और इसी कारण उनके विकास में ये अधिक सहायता कर सकते हैं। मीडिया में दायित्व की भावना का

विकास होना चाहिए। मीडिया का नियंत्रण व्यावसायिक संगठनों या व्यक्तियों पर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि यह आम लोगों के हितों के बजाय अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने में ज्यादा महत्व देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जनमाध्यमों को स्वतंत्रता के साथ–साथ नागरिकों के हित में कार्य करना चाहिए।

संदर्भ पुस्तकें

- सम्प्रेषण प्रतिरूप एवं सिद्धांत, डॉ. श्रीकांत सिंह, कोशल प्रकाशन।
- संचार के मूल सिद्धांत, प्रो. ओमप्रकाश सिंह, लोकभारती प्रकाशन।
- जनसंचार सिद्धांत और अनुप्रयोग, विष्णु राजगढ़िया, राधाकृष्ण प्रकाशन।

*****